न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 26 / 2021

अनवान :–

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. भागीरथ पुत्र पतराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महादेव बलारा पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. पूर्णराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. शिवभगवान पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. हेतराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. देवीलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. कुम्भाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. महावीर पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. कालुराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अभिभाषक, प्रार्थी
श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 05/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की

रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 9 / 28 की कुल 1.7280हैक्ट व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 63 / 200 3.3710हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 23 ,24 का 1 / 3 ,1 / 3 हिस्सा भूमि है व रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 320 / 272 की कुल 4.9840हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि है तथा रोही मौजा 5 पीपीएम के खाता संख्या 62 / 59 की कुल 1.1350हैक्ट भूमि प्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 25 का 1 / 2 ,1 / 2 हिस्सा की भूमि है।

रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319 / 191 की कुल 12.3720हैक्ट व रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35 / 38 की कुल 4.3010हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ,2 का 1 / 2 ,1 / 2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 37 / 40 की कुल3.9700हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि है एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 48 / 47 की कुल 2.8740 भूमि अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि है व रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 25 / 28 की कुल 1.4760हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या52 / 25 की कुल 5.6920हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 ता 8 का 1 / 3 –1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 20 / 59 की कुल 1.9730हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 9 की खातेदारी भूमि है रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 19 / 21 की कुल 2.5680हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 10 ता 12 का 1 / 3 –1 / 3 हिस्सा के खातदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 24 / 1 की कुल 7.1310हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 13 का 4659 / 23770

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 14 का 5689/142620 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 15 का 2971/71310 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 16 का 2971/73710 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 17 का 7462/35655 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 18 का 7462/35655 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 19 का 1159/23770 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 20 का 223/4754 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 21 का 1175/7131 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 22 का 253/142620 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम दोनो चको मे पडती है दोनो चको की सीव आपस में मिलती है प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 3 ता 25 को आवागमन करने के लिये चालू व मन्जूरशुदा रास्ता नही होने से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को भारी परेशानी होती है।

प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए गावं से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता रोही मौजा चक बिरकाली बारानी क प०न० 96/38(324) के किला न0 21 ,21 ,11,10,1 व प०न० 96/37(236) के किला न0 21 ,21 ,11 ,10 ,1 दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर पश्चिम दिशा में 2–2 गठठा रास्ता मौके पर चालू व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से होते हुए प्रार्थीगण अपने खेत में प०न० 96/36 (243) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से प०न० 96/33(25) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से होते हुए प०न० 96/34 (24) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10. 1 से प०न० 96/33(16) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से प०न० 95/40(13) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ से होते हुए प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खेतो में पहुचते है।

उक्त रास्ता गांव बिरकाली से होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये सुविधाजनक रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खेतों में आवागमन करते है तथा उक्त रास्त की व्यवस्था भू–प्रबन्ध विभाग से चक प्लान में भी व्यवस्था की गई थी एक मुरब्बा पर रास्ता एव दूसरे को छोडकर अगले मुरब्बे में रास्ता की व्यवथा की थी जिससे प्रत्येक काश्तकार का अपने अपने खेतो में जाने के लिये परेशानी ना हो सके एव आसान से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके।

प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये यही एक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता दर्ज हाने से चक के सभी काश्तकारों को फायदा होगा जो अपने खेत में आसानी से आवागमन कर सकेंगे एव सदामत से यही रास्ता चालू है यही सुविधाजनक रास्ता है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज एव स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ,2 रास्ता मे आवागमन करने से निषिद्व करने से आमाद है इसलिये प्रार्थीगण आवागमन की सदामत की सुविधा के लिये एव अपने अपने खेतो में आवगमन करने हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है क्योकि इस रास्ता की चक के सभी काश्तकारो को आवश्यकता है।

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज नही होने से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण एव चक के अन्य काश्तकारो को भारी परेशानी का सामना करना पडता है इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 के प०न० 96/36 (243) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 के प०न० 96/36(25) के किला न0. 20 ,21 व खाता संख्या 37/40 के प०न० 96/35(25) के किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 48/47 के प०न० 96/35(25) के किला न0 1 व प०न० 96/34 (24) के किला न0 21 व खाता संख्या 25/25 के प०न० 96/34(24) किला न0 20 तथा खाता संख्या 9/28 के प०न० 96/34(24) किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 52/25 के प०न० 96/34(24) के किला न0 1 व प०न० 96/33 (16) के किला न0 11 ,20 ,21 तथा खाता संख्या 20/59 के प०न० 96/33 (16) के किला न0 1 ,10 व खाता संख्या 19/21 के प०न० 95/40(13) के किला न0 20 ,21 व खाता संख्या 24/1 के प०न० 95/40 (13) के किला न0 1 ,10 ,11

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

सभी किलो मे दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम तरफ में दो –दो गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एव तहसीलदार नोहर को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया । गैरसायल/अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 ,19 ,20 ,23 ता 25 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार करने में अपनी सहमति जाहिर की गई अप्रार्थी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर जबाव पेश करने का समय चाहा तथा अप्रार्थी संख्या 10 ता 18 ,21,22 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई

अप्रार्थी संख्या 1 ,2 ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश किया की प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि अलग अलग चको की है इसलिये भूमि एक चक से दुसरे चक में स्थानान्तरण नही की जा सकती है सायल व गैरसायल संख्या 3 ता 25 के खेत में पहले से ही प0न0 69/34(16) के किला न0 21 ता 25 में मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा मौके पर चालु है जो विरकाली गांव की फिरनी से होकर किला न0 21 ता 25 में चलता है तथा प0न0 96/35(25) के किला न0 13 ता 25 मु0न0 26 के किला न0 11 ता 15 में भी मजूरशुद्वा रास्ता है तथा आज भी मौके पर चालु है प0न0 96/49 से 96/54 पर भी सदामत से चालू व मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा हमेशा से ही सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ता 25 इसी रास्ता से आवागमन करते है तथा सभी के खेतो में रास्ता जाता है इसलिये पहले से रास्ता हो तो दूसरा रास्ता की मांग नही कर सकते है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है पहले से रास्ता सभी के खेतो में जाता है यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है तथा प्रार्थना पत्र में जहा से रास्ता चाहा गया है व 25 बीघा लम्बा रास्ता चाहा गया है जो ना तो सुविधाजनक है तथा न ही नजदीकी है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

सायल के द्वारा प0न0 96/36(243) के किला न0 1 ,10 ,20 ,21 में रास्ता चाहा गया है जबकि किला न0 21 में प्रार्थी /उतरदाता की करीब 15 साल पुरानी डिग्गी वनी हुई है जो कृषि विभाग के द्वारा स्वीकृत है तथा राज्य सरकार से अनुदानित है मकान बना रखे है तथा खाला चल रहा है इसलिये यहा से रास्ता सम्भव नही है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ,2 का जबाव पेश होने पर शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली वास्त बहस मुकर्रर की गई।

पत्रावली बहस हेतु पेश होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता मौका रिपोर्ट पर ऐतराज होने का प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने के लिये निवेदन किया गया जिसे सायल के अधिवक्ता ने स्वीकार करने पर अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को पुनः विस्तृत विवरण सहित मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली मौका रिपोर्ट एव बहस हेतु निधारित की गई।

तहसीलदार नोहर द्वारा निर्धारित तिथि पर मौका रिपोर्ट पेश करने पर गैरसायल संख्या 1 ,2 ने पुनः बहस हेतु समय चाहने पर पत्रावली बहस हेतु तारीख पेशी निर्धारित की गई ।

पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 की और से उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश कर पूर्व में अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 के विरूद्व हुए एकपक्षिय कार्यवाही को निरस्त कर जबाव पेश करने का निवेदन किया जिस पर सायल के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 के जबाव हेतु पत्रावली रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पत्रावली निर्धारित तारीख पेशी पर पेश होने पर अप्रार्थी संख्या 14 ता 18 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली पुनः बहस हेतु निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि पर पत्रावली बहस हेतु पेश होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ,2 ,14 ता 18 के अधिवक्ता ने पुनः अप्रार्थी संख्या 11 ,12 ,13 की और से उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश कर पुर्व मे हुई एकपक्षिय कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर सायल के अधिवक्ता ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली अप्रार्थी संख्या 11 ता 13 के जवाब हेत निधारित की गई।

निधारित तिथि पर पत्रावली पेश होने पर सायल के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की सायल के द्वारा सायलान एव गैरसायलान के खेत मे आवागमन करने के लिये रास्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैरसायल संख्या 3 ता 9 ,23 ता 25 ने स्वीकार भी किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका था पत्रावली में समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ,2 10 ता 22 प्रकरण में देरीना करने के किये बहस में पत्रावली होने के उपरान्त भी बार बार प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता के प्रकरण मे देरीना कर रहे है अर्थात गैरसायल संख्या 10 ता 22 प्रकरण में बार बार प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब हेतु समय मांगा जाकर प्रकरण में देरीना करना चाहते है।

सायलान ने आमजन की सुविधा के लिये रास्ता चाहा गया था सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर चक प्लान की स्कीम के अनुसार था तथा सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने पर गांव बिरकाली गांव गन्धेली से जुड जाता था जिसके सभी ग्रामवासीयों एवं आम काश्तकार को लाभ होता मु0न0 13 सायलान की भूमि से आगे की भूमि है जिसमे रास्ता नही होने से सायल को किसी प्रकार नुकसान नही है सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ आमजन की सुविधा के लिये मु0न0 13 में रास्ता का अनुतोष चाहा था ताकि आमजन को भी रास्ते का लाभ हो सके किन्तु गैरसायल संख्या 10 ता 22 जो सायलान के द्वारा आमजन की सुविधा के लिये चाहे गये रास्ते प्रकरण में देरीना करना चाहते है गैरसायल संख्या 10 ता 22 मु0न0 13 के काश्तकार है जो रास्ता के प्रकरण में अनावश्यक देरीना करना चाहते है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 10 ता 22 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ /अनुतोष नही चाहता है इसलिय गैरसायल संख्या 10 ता 22 एव इनकी भूमि में चाहे गये अनुतोष को प्रार्थना पत्र से हटाया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 10 ता 22 का हटाया गया सायलान ने संशोधित शिर्षक पेश किया जा चुका है सायलान के द्वारा गैरसायलान संख्या 10 ता 22 को हटाये जाने एव संशोधित शिर्षक के अनुसार स्थिति इसप्रकार रही ।

संशोधित शीर्षक के अनुसार गैरसायल संख्या 1 ,2 की और से मांगेराम अधिवक्ता उपस्थित है एवं जवाब भी पेश किया जा चुका है तथा गैरसायल संख्या 3 ता 12 स्वय उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित है स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इकबाल प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है तथा तहसीलदार नोहर के द्वारा गैरसायल संख्या 1 ,2 के मौका ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त पुनः मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है किसीप्रकार की कार्यवाही शेष नही रही पत्रावली में बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान दोनो ही खातेदार काश्तकार है जिनकी भूमिया रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम मे है रोही मौजा बिरकाली बारानी एवं चक 5 पीपीएम के मु0न0 13 ,14 ,16 ,24 ,25 के काश्तकारो को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिय रास्ता नही है काश्तकारो को अपनी अपनी भूमि में जाने के

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

किये रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सायलान ने एक प्रार्थना पत्र आमजन /रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम के काश्तकारो के लिये रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था।

सायलान ने रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 के प0न0 96/36 (243) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 के प0न0 96/36(25) के किला न0. 20 ,21 व खाता संख्या 37/40 के प0न0 96/35(25) के किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 48/47 के प0न0 96/35(25) के किला न0 1 व प0न0 96/34 (24) के किला न0 21 व खाता संख्या 25/25 के प0न0 96/34(24) किला न0 20 तथा खाता संख्या 9/28 के प0न0 96/34(24) किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 52/25 के प0न0 96/34(24) के किला न0 1 व प0न0 96/33 (16) के किला न0 11 ,20 ,21 तथा खाता संख्या 20/59 के प0न0 96/33 (16) के किला न0 1 ,10 व खाता संख्या 19/21 के प0न0 95/40(13) के किला न0 20 ,21 व खाता संख्या 24/1 के प0न0 95/40 (13) के किला न0 1 ,10 ,11 सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम तरफ में दो –दो गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे सभी काश्तकारो /आमजन को रास्ता मिल सके सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता गांव बिरकाली एव गांव गन्धेली को जोडता है रास्ता स्वीकृत होने पर आमजन को आवागमन में सुविधा होगी।

प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम दोनो चको में पडती है दोनो चकों की सीव आपस में मिलती है प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 3 ता 25 को आवागमन करने के लिये चालू व मन्जूरुद्वा रास्ता नही होने से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को भारी परेशानी होती है।

उक्त रास्ता गांव बिरकाली से होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये सुविधाजनक रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खतों में आवागमन करते है तथा उक्त रास्त की व्यवस्था भू–प्रबन्ध विभाग से चक प्लान में भी व्यवस्था की गई थी एक मुरब्बा पर रास्ता एव दूसरे को छोडकर अगले मुरब्बे में रास्ता की व्यवथा की थी जिससे प्रत्येक काश्तकार का अपने अपने खेतो में जाने के लिये परेशानी ना हो सके एव आसान से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके।

प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये यही एक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता दर्ज हाने से चक के सभी काश्तकारों को फायदा होगा जो अपने खेत में आसानी से आवागमन कर सकेगे एव सदामत से यही रास्ता चालू है यही सुविधाजनक रास्ता है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज एव स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ,2 रास्ता मे आवागमन करने से निषिद्व करने से आमाद है इसलिये प्रार्थीगण आवागमन की सदामत की सुविधा के लिये एव अपने अपने खेतो में आवगमन करने हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है क्योंकि इस रास्ता की चक के सभी काश्तकारो को आवश्यकता है।

सायलान के प्रार्थना पत्र पेश करने पर गैरसायल संख्या 10 ता 22 प्रकरण में अनावश्यक देरीना करना चाहते है गैरसायल संख्या 10 ता 22 मु0न0 13 के काश्तकार है जिनकी भूमि सायलान की भूमि से आगे पडती है मु0न0 13 में सायलान ने अन्य काश्तकारो की सुविधा के लिये रास्ते की मांग की गई थी किन्तु गेरसायल संख्या 10 ता 22 प्रकरण में देरीना करने पर सायलान ने इनके विरूद्व अनुतोष को हटा लिया है अर्थात मु0न0 13 के काश्तकार गैरसायल संख्या 10 ता 22 के विरूद्व रिलिफ नही है।

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज नही होने से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण एव चक के अन्य काश्तकारो को भारी परेशानी का सामना करना पडता है इसलिये उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 के प०न० 96/36 (243) के किला न० 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 के प०न० 96/36(25) के किला न०. 20 ,21 व खाता संख्या 37/40 के प०न० 96/35(25) के किला न० 10 ,11 व खाता संख्या 48/47 के प०न० 96/35(25) के किला न० 1 व प०न० 96/34 (24) के किला न० 21 व खाता संख्या 25/25 के प०न० 96/34(24) किला न० 20 तथा खाता संख्या 9/28 के प०न० 96/34(24) किला न० 10 ,11 व खाता संख्या 52/25 के प०न० 96/34(24) के किला न० 1 व प०न० 96/33 (16) के किला न० 11 ,20 ,21 तथा खाता संख्या 20/59 के प०न० 96/33 (16) के किला न० 1 ,10 व सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम तरफ में दो –दो गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल /अप्रार्थी संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 ,2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया की प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि अलग अलग चको की है इसलिये भूमि एक चक से दुसरे चक में स्थानान्तरण नही की जा सकती है सायल व गैरसायल संख्या 3 ता 25 के खेत में पहले से ही प०न० 69/34(16) के किला न० 21 ता 25 मे मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा मौके पर चालु है जो बिरकाली गांव की फिरनी से होकर किला न० 21 ता 25 में चलता है तथा प०न० 96/35(25) के किला न० 13 ता 25 मु०न० 26 के किला न० 11 ता 15 में भी मजूरशुद्वा रास्ता है तथा आज भी मौके पर चालु है प०न० 96/49 से 96/54 पर भी सदामत से चालू व मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा हमेशा से ही सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ता 25 इसी रास्ता से आवागमन करते है तथा सभी के खेतो में रास्ता जाता है इसलिये पहले से रास्ता हो तो दूसरा रास्ता की मांग नही कर सकते है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है पहले से रास्ता सभी के खेतो में जाता है यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है तथा प्रार्थना पत्र में जहा से रास्ता चाहा गया है व 25 बीघा लम्बा रास्ता चाहा गया है जो ना तो सुविधाजनक है तथा न ही नजदीकी है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

सायल के द्वारा प०न० 96/36(243) के किला न० 1 ,10 ,20 ,21 में रास्ता चाहा गया है जबकि किला न० 21 में प्रार्थी /उतरदाता की करीब 15 साल पुरानी डिग्गी बनी हुई है जो कृषि विभाग के द्वारा स्वीकृत है तथा राज्य सरकार से अनुदानित है मकान बना रखे है तथा खाला चल रहा है इसलिये यहा से रास्ता सम्भव नही है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार

रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 9/28 की कुल 1.7280हैक्ट व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 63/200 3.3710हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 23 ,24 का 1/3 ,1/3 हिस्सा भूमि है व रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 320/272 की कुल 4.9840हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि है तथा रोही मौजा 5 पीपीएम के खाता संख्या 62/59 की कुल 1.1350हैक्ट भूमि प्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 25 का 1/2 ,1/2 हिस्सा की भूमि है।

रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 की कुल 12.3720हैक्ट व रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 की कुल 4.3010हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ,2 का 1/2 ,1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 37/40 की कुल3.9700हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि है एव रोही मोजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 48/47 की कुल 2.8740 भूमि अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि है व रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 25/28 की कुल 1.4760हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि है तथा रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 52/25 की कुल 5.6920हैक भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 ता 8 का 1/3 –1/ 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 20/59 की कुल 1.9730हैक भूमि अप्रार्थी संख्या 9 की खातेदारी भूमि है रोही मौजा चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 19/21 की कुल 2.5680हैक भूमि में अप्राथी संख्या 10 ता 12 का 1/3 –1/3 हिस्सा के खातदार काश्तकार है।

उक्त भूमि में सायलान ने मु0न0 13 के काश्तकारो के विरूद्व चाहे गये अनुतोष को हटाने के कारण मु0न0 13 के काश्तकारो के विरूद्व अनुतोष हटाया जा चुका है ।

सायलान का कथन है प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम दोनो चको में पडती है दोनो चकों की सीव आपस में मिलती है प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 3 ता 25 को आवागमन करने के लिये चालू व मन्जूरशुद्वा रास्ता नही होने से प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को भारी परेशानी होती है।

प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए गावं से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता रोही मौजा चक बिरकाली बारानी क प0न0 96/38(324) के किला न0 21 ,21 ,11,10,1 व प0न0 96/37(236) के किला न0 21 ,21 ,11 ,10 ,1 दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर पश्चिम दिशा में 2–2 गठठा रास्ता मौके पर चालू व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से होते हुए प्रार्थीगण अपने खेत में प0न0 96/36 (243) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से प0न0 96/33(25) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से होते हुए प0न0 96/34 (24) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10, 1 से प0न0 96/33(16) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 से प0न0 95/40(13) के किला न0 21 ,20 ,11 ,10 ,1 दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ से होते हुए प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खेतो में पहुचते है।

उक्त रास्ता गांव बिरकाली से होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये सुविधाजनक रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खतों में आवागमन करते है तथा उक्त रास्त की व्यवस्था भू–प्रवन्ध विभाग से चक प्लान में भी व्यवस्था की गई थी एक मुरब्बा पर रास्ता एव दूसरे को छोडकर अगले मुरब्बे में रास्ता की व्यवथा की थी जिससे प्रत्येक काश्तकार का अपने अपने खेतो में जाने के लिये परेशानी ना हो सके एव आसान से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सके।

प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण को अपने अपने खेतो में जाने के लिये यही एक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता दर्ज हाने से चक के सभी काश्तकारों को फायदा होगा जो अपने खेत में आसानी से आवागमन कर सकेगे एव सदामत से यही रास्ता चालू है यही सुविधाजनक रास्ता है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज एव स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ,2 रास्ता मे आवागमन करने से निषिद्व करने से आमाद है इसलिये प्रार्थीगण आवागमन की सदामत की सुविधा के लिये एव अपने अपने खेतो में आवगमन करने हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है क्योकि इस रास्ता की चक के सभी काश्तकारो को आवश्यकता है।

गैरसायलान संख्या 1 ,2 का कथन है की सायलान को रास्ता उपलब्ध है जो सायल व गैरसायल संख्या 3 ता 25 के खेत में पहले से ही प0न0 69/34(16) के किला न0 21 ता 25 में मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा मौके पर चालु है जो बिरकाली गांव की फिरनी से होकर किला न0 21 ता 25 में चलता है तथा प0न0 96/35(25) के किला न0 13 ता 25 मु0न0 26 के किला न0 11 ता 15 में भी मजूरशुद्वा रास्ता है तथा आज भी मौके पर चालु है प0न0 96/49 से 96/54 पर भी सदामत से चालू व मंजूरशुद्वा रास्ता है तथा हमेशा से ही सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ता 25 इसी रास्ता से आवागमन करते है

सायलान एवं गैरसायल के कथनों की पुष्टि के लिये प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया नजर नक्शा के अनुसार एक पत्थर लाईन पर रास्ता है एव दुसरी पत्थर लाईन पर रास्ता नही है अर्थात एक पत्थर लाईन का छोडकर रास्ता चक स्कीम में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

बनाया गया था जो रोही मौजा बिरकाली बारानी एवं रोही मौजा चक 5 पीपीएम के नजरी नक्शा से स्पष्ट है।

नजरी नक्शा में स्पष्ट तौर से दर्शीत है कि सायलान के द्वारा जहा से रास्ता चाहा जा रहा उस पत्थर लाईन पर रास्ता नही है शेष चक के सभी पत्थर लाईन पर एक पत्थर लाईन को छोडकर रास्ता दर्ज है जबकि चक स्कीम में सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर बनाया जाना चाहिये था।

चक स्कीम में यदि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता बनाया गया होता तो सायलान को रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश नही करना पडता अर्थात सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित प्रतीत होता है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम दोनो चकों की चक सीमा एक दुसरे से मिलती हुइ है तथा हस्तगत प्रकरण के काश्तकारो की भूमि भी उक्त दोनो चकों में है इसलिये दोनो चकों में एक प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा गया है जो विधि सम्मत है।

गैरसायलान का कथन है कि सायलान को उनकी भूमि में जाने के लिये रास्ता है किन्तु प्रस्तुत नजरी नक्शा में सायलान को उनकी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही होना पाया जाता है गैरसायलान ने सायलान को रास्ता होने का कथन किया गया है अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी नजरी नक्शा/साक्ष्य/सबुत पेश नही किया गया जिससे गैरसायलान/अप्रार्थी संख्या 1 , 2 का कथन साबित हो सके।

गैरसायला का कथन है कि सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि पर गैरसायलान /अप्रार्थी संख्या 1 ,2 की डिग्गी बनी हुई है इसलिये रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता गैरसायला /अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2 का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि कि तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सायलान ने जो रास्ता चाहा वहा से गैरसायल संख्या 1 ,2 की डिग्गी 13–14 फुट की दुरी पर है अर्थात सायलान के द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य गैरसायल संख्या 1 ,2 की डिग्गी नही आती है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा में चल रहे पूर्व से पश्चिम रास्ते में मिलता है यह रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी के अलावा पूर्व दिशा व उत्तर दिशा के काश्तकारो के लिए लाभप्रद है अर्थात प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित है वर्तमान में सायलान को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई भी नजदीकी स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है सायलान को उनकी भूमि तक आवागमन के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार स्पष्ट है कि सायलान एव अन्य काश्तकारो को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी रास्ता नही है तथा तहसीलदार नोहर ने सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित अंकित किया जाकर सायलान एवं अन्य काश्तकारो को उनकी खातदेारी भूमि में आवागमन की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशषां भी की गई है।

तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है कि गैरसायलान की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो सायलान के अलावा अन्य काश्तकार अपनी भूमि तक आवागमन कर सकते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान ने रोही मौजा बिरकाली एवं रोही मौजा चक 5 पीपीएम में सायलान स्वय एव अन्य काश्तकारो की आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें गैरसायल संख्या 1 ,2 ने सायलान को अन्य रास्ता होने एव सायलान ने जहाँ से रास्ता चाहा गया है उस भूमि पर गैरसायलान संख्या 1 ,2 की डिग्गी होना व्यक्त किया गया किन्तु अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया इसके विपरित तहसीलदार नोहर की मौका

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट के अनुसार गैरसायलान संख्या 1 ,2 की डिग्गी रास्ता की भूमि से 14 फुट की दुरी पर है तथा सायलान का उनकी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार स्पष्ट है कि सायलान एव अन्य काश्तकारो को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी रास्ता नही है तथा तहसीलदार नोहर ने सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित अंकित किया जाकर सायलान एवं अन्य काश्तकारो को उनकी खातदेारी भूमि में आवागमन की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशषां भी की गई है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी एव रोही मौजा चक 5 पीपीएम के नजरी नक्शा के अनुसार एक पत्थर लाईन पर रास्ता दुसरी पत्थर लाईन को छोड कर आगामी पत्थर लाईन पर रास्ता दर्ज किया गया है अर्थात एक पत्थर लाईन छोड कर रास्ता दर्ज है जो नजरी नक्शा से पूर्णतया साबित है।

पूर्व चक स्कीम में सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत नही किया गया है जबकि उसे रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता से पूर्व रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आगे रास्ता दर्ज नही किया गया है जिसे सायलान स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

सायलान ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह रास्ता पत्थर लाईन पर है केवल यही रास्ता चक स्कीम में रास्ते के रूप में दर्ज नही किया गया है जबकि चक के अन्य रास्तो के अनुसार इस पत्थर लाईन पर रास्ता दर्ज किया जाना चहिये था जो नही किया गया था जिसे सायलान ने स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है जो न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एव नजरी नक्शा से पूर्णतया साबित है कि सायलान एव अन्य काश्तकारो को उनकी भूमि तक जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है तथा सायलान एवं अन्य काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार नोहर के मौका नजरीया नक्शा के अनुसार सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य /सबुतों /नजरी नक्शा/मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 के प0न0 96/36 (243) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 (किला न0 21 में डिग्गी की भूमि को छोडते हुए रास्ता दर्ज किया जावे) व चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 के प0न0 96/35(25) के किला न0. 20 ,21 व खाता संख्या 37/40 के प0न0 96/35(25) के किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 48/47 के प0न0 96/35(25) के किला न0 1 व प0न0 96/34 (24) के किला न0 21 व खाता संख्या 25/25 के प0न0 96/34(24) किला न0 20 तथा खाता संख्या 9/28 के प0न0 96/34(24) किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 52/25 के प0न0 96/34(24) के किला न0 1 व प0न0 96/33 (16) के किला न0 11 ,20 ,21 तथा खाता संख्या 20/59 के प0न0 96/33 (16) के किला न0 1 ,10 सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम तरफ में दो –दो गठठा (16–1/2 फुट) रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2022/2219 दिनांक 5/7/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 26 सन 2021 निर्णय दिनांक 05/07/2022

अनवान :–

अनवान :–

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

वनाम्

1. भागीरथ पुत्र पतराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महादेव बलारा पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. पूर्णराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. शिवभगवान पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. हेतराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. देवीलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. कुम्भाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. महावीर पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. कालुराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 319/191 के प0न0 96/36 (243) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 (किला न0 21 में डिग्गी की भूमि को छोडते हुए रास्ता दर्ज किया जावे) व चक 5 पीपीएम के खाता संख्या 35/38 के प0न0 96/35(25) के किला न0. 20 ,21 व खाता संख्या 37/40 के प0न0 96/35(25) के किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 48/47 के प0न0 96/35(25) के किला न0 1 व प0न0 96/34 (24) के किला न0 21 व खाता संख्या 25/25 के प0न0 96/34(24) किला न0 20 तथा खाता संख्या 9/28 के प0न0 96/34(24) किला न0 10 ,11 व खाता संख्या 52/25 के प0न0 96/34(24) के किला न0 1 व प0न0 96/33 (16) के किला न0 11 ,20 ,21 तथा खाता संख्या 20/59 के प0न0 96/33 (16) के किला न0 1 ,10 सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम तरफ में दो –दो गठठा (16–1/2 फुट) रास्ता स्वीकृत किया गया है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner